

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)


कैम्प कोर्ट का स्थान.....उमण्ड.....

दिनांक :- 19/06/2023

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारीउमण्ड..... व भू-अभिलेख निरीक्षकउमण्ड..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्रामउमण्ड..... तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 276, 277 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	उमण्ड	276, 277	हासू पुत्र कापू	हसराम पुत्र कापू



([Signature])

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
सहायक कलेक्टर एवं

क्रमांक / 161
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

([Signature])

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलेक्टर, (कपासन जिला चित्तौड़गढ़)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कपासन